



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

सं० : 85/33(1)/गोपन/विनिर्दान/2012-13

दिनांक: 13 मार्च, 2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 13.03.2015 को समिति के अधोलिखित सदस्यों की उपस्थिति में निम्न अभिलेखों को निर्धारित प्रतिधारण अवधि व निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् विनिर्दान कर लिया गया है:-

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	पदनाम	विनष्ट किए जाने योग्य सामग्री	चयन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि	प्रतिधारण अवधि/तिथि
1.	उत्तराखण्ड संयुक्त अवर / कनिष्ठ अभियंता चयन परीक्षा -2011	कनिष्ठ अभियंता	मुख्य परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों की मूल्यांकित (रिचा नेगी की सिविल अभियन्त्रण-प्रथम की उत्तर-पुस्तिका को छोड़कर) / अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ, एवं उत्तर-पुस्तिकाओं के फ्लैप/ कोडिंग-डिकोडिंग लिस्ट तथा मूल्यांकन सम्बन्धित अन्य रिकार्ड।	24.07.2013	अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के एक वर्ष तक / 23.07.2014
2.	न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0)-2012	सिविल जज (जू0डि0)	मुख्य परीक्षा एवं कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ एवं ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ जो क्वालिफाईंग विषय में असफल होने के कारण अमूल्यांकित हैं, रोल लिस्ट (प्रारम्भिक परीक्षा) उत्तर पुस्तिकाओं के फ्लैप / कोडिंग - डिकोडिंग लिस्ट तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य रिकार्ड।	30.04.2013	अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के एक वर्ष तक / 29.04.2014
3.	सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2010	नायब तहसीलदार / क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक/परिवहन कर अधिकारी श्रेणी-2/श्रम परिवर्तन अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक/ विपणन निरीक्षक आदि।	प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ एवं ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ जो क्वालिफाईंग विषय में असफल होने के कारण अमूल्यांकित हैं, रोल लिस्ट, शारीरिक मापदण्ड एवं योग्यता परीक्षण की रिपोर्ट से संबंधित प्रपत्र तथा परीक्षा केन्द्र द्वारा प्रदत्त सभी विवरण, उत्तर पुस्तिकाओं के फ्लैप/ कोडिंग-डिकोडिंग लिस्ट तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य रिकार्ड।	25.05.2013	अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के एक वर्ष तक / 24.05.2014

समिति के समक्ष विनिर्दान हेतु प्रस्तुत अभिलेखों में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है, जिसे निर्धारित प्रतिधारण अवधि के पश्चात् रखे जाने की आवश्यकता हो।

(13/03/2015)
(ए0के0जायसवाल)
अनुभाग अधिकारी
गोपन अनुभाग

(13.03.15)
(डॉ० पुनीता बाजपेयी)
अनुसचिव

(सी०एस० धर्मशक्त)
परीक्षा नियंत्रक

(एस०एन० पाण्डेय)
सचिव 13.03.2015

(13-3-2015)
(सुमेर चन्द रवि)
अध्यक्ष, विनिर्दान समिति